न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. प्रथम, अम्बेडकरनगर

उपस्थितः—निरूपमा विक्रम उच्चतर न्यायिक सेवा,

सत्र परीक्षण संख्या— 146 / 2014

सरकार **बनाम** विकास तिवारी

02.08.2018

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र 6ब पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थना पत्र 6ब वादी मुकदमा गुनीराम वर्मा की ओर से अन्तर्गत धारा—319 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे का वादी व चश्मदीद साक्षी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.03.2012 ई0 को उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट आलोक, अमित व विकास के विरूद्ध थाना—इब्राहिमपुर में पंजीकृत कराया था। जिसमें विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्त अमित व आलोक के प्रभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगा दिया। उपरोक्त मुकदमा में प्रार्थी पी0डब्लू0 1 का बयान रूबरू अदालत में हुआ तथा बयान धारा—161 सी0आर0पी0सी0 में अभियुक्तों की संलिप्तता बतायी है और साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त आलोक व अमित को बतौर अभियुक्त तलब करने का आधार पर्याप्त है। अतः आलोक व अकित को भी इस मामले में बतौर अभियुक्तगण तलब कर विचारण किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थना पत्र 6ब विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा सबमिट किया गया।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा कुल 03 साक्षियों का परीक्षित कराया गया है। प्रार्थी / वादी मुकदमा का यह कहना है कि गवाहों के बयान से प्रस्तुत मामले में आलोक व अमित द्वारा भी अपराध कारित किया जाना स्पष्ट है। अतः उन्हें भी उक्त मामले में विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है। वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि आलोक व अमित ने उससे मोटर साइकिल रूकवायी थी और विकास ने जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर किया। उक्त साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि फायर की आवाज सुनकर अमरेन्द्र वर्मा भी आ गये। अमरेन्द्र वर्मा को साक्षी पी0डब्लू0 2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने बयान में यह कहा है कि विकास तिवारी ने मोटर साइकिल रोककर गोली मारी थी। उक्त साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि दो अन्य लोगों को वह नहीं पहचानता। इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि भईया राम (मृतक) ने पूँछने पर बताया था कि राम शिरोमणि के लड़कों ने गोली मारी थी। प्रार्थी / वादी मुकदमा जिन अभियुक्तगण (आलोक व अमित) को तलब कराना चाहता है उनके पिता

का नाम सूर्यप्रकाश तिवारी है। साक्षी पी0डब्लू0 2 ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि दो अन्य जो व्यक्ति मौजूद थे, वह उन्हें नहीं पहचानता है। मृतक ने उसे यह बताया था कि राम शिरोमणि के लड़कों ने गोली मारी है। राम शिरोमणि का पुत्र विकास तिवारी पहले से ही अभियुक्त है और उसके विरूद्ध विचारण चल रहा है। इस मामले में अभियोजन द्वारा अन्य साक्षी पी0डब्लू0 3 को परीक्षित कराया गया है जिसने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि भईया राम व विकास तिवारी के परिवार में कोई झगड़ा हुआ है या नहीं। अतः प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य में मात्र साक्षी पी0डब्लू0 1 ने यह कहा है कि आलोक व अमित ने मोटर साइकिल रूकवाई थी। जबकि पी0डब्लू0 2 ने अपने बयान में यह कहा है कि विकास के अलावा अन्य दो लोग जो मौजूद थे, वह उन्हें नहीं पहचानता है और भैय्याराम की मोटर साइकिल रोकर विकास तिवारी ने गोली मारी थी। यह भी कहा है कि मृतक ने उसे बताया था कि राम शिरोमणि के पुत्र ने गोली मारी थी। साक्षी पी0डब्लू0 3 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है व उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह ने आलोक व अमित के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014)2 एस.सी.सी. (क्रि0) 86 में यह कहा गया है कि, "Power under Section 319 CrPC is a discrectionary and an extraordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant." अतः उक्त विधि–व्यवस्था में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायालय को धारा–319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत किसी अभियुक्तगण को तलब करने का विवेकाधिकार है, परन्तु इस शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही करना चाहिए। प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर आलोक व अमित को बतौर अभियुक्तगण अन्य अभियुक्त के साथ विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/वादी मुकदमा का प्रार्थना पत्र 6ब अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 16.08.2018 को पेश हो। साक्षी तलब हो।

दिनांकः–02.08.2018

(निरूपमा विक्रम)
अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. प्रथम
अम्बेडकरनगर।